श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

भारत सरकार, नई दिल्ली।

श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग. निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।

विषयः- लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों का आरक्षण रोटेशन से करने बाबत।

_					
Ħ	ਟ	दय			

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण राजस्थान राज्य में विधानसभा की अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र का मतदाता है।आप यह भली भांति जानते है कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था। उसके पश्चात यह स्वतः समाप्त हो जाना था। 10 वर्ष के बाद इस आरक्षण की पुनर्समिक्षा नहीं करने का निर्णय संविधान निर्मात्री सभा में बकायदा बहस के बाद सोच विचार करके लिया गया था। अतः 10 वर्ष पश्चात यह आरक्षण स्वतः समाप्त होने का प्रावधान संविधान की मुलभुत संरचना का एक अंग है। इस असंवैधानिक आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में अनेकों याचिकाए 20 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपरोक्त याचिकाओं के सामृहिक निर्णय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो बार संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया जा चुका है लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है।

हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि जब तक उपरोक्त याचिकाओं का अंतिम निर्णय हो पाता है तब तक के लिए सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्र का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण चक्रीय प्रणाली (रोटेशन सिस्टम) से कर दिया जावे। जैसा कि जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, पंच, वार्ड मेम्बर आदि के मामलों में कानून बनाकर किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए चक्रीय आरक्षण की व्यवस्था अलग-अलग की जावे। और जब तक सांसदों एवं विधायकों के राज्यवार सभी क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक बार नहीं हो जाए तब तक प्रथम बार आरक्षित क्षेत्र को दुबारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित नहीं किया जावे। इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवा एवं प्रखर नेताओं को पूरे राज्य एवं देश में आगे बढने का मौका मिलेगा, गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिकों को पूरी जिन्दगी अपने इच्छित नेतृत्व को मत देने से वंचित नहीं रहना पडेगा, केवल एक या दो टर्म के पश्चात वे भी निर्वाचन में भागीदारी निभा सकेंगे। सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होगी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की एक भी सीट कम नहीं होगी, जातिवादी राजनीति खत्म होगी, विकासवादी राजनीति बढेगी,सभी वर्गों में सदभाव व भाईचारा बढेगा, देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा। त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय,					
क.	नाम, पिता का नाम, उम्र	मोबाइल नम्बर	पता	हस्ताक्षर	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VAKALATNAMA

$\frac{\hbox{IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT}}{\hbox{JODHPUR BENCH JODHPUR}}$

S	uit/Appeal No/CWP						
ا	In re:VERSUS	Plaintiff /Appellant /Petitione	er/ Complainant.				
	ese present shall come tha	Defendant/Respo at I/We.					
d	ne above namedo hereby appoint.						
	uthorize him:-	called the advocate/s/ to be my/or	ar Advocate in the above noted case				
9. 10.	 also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/us. To sign, file, verify and present pleadings, appeals, cross-objections or petitions for executions review revision, withdrawal compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subject to payment of fees for each stage. To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take execution proceedings. To deposit, draw and receive monthly cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case. To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf. And I/We the undersigned do hereby agree to rectify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and proposes. And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called. And I/We the undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself. 						
	me/us on thisday of20 Accepted subject to the terms of the fe						
	Advocate	Client	Client				
		1.Sign	6. Sign				
		Name	.Name				
		2.Sign	7. Sign				
		Name	.Name				
		3.Sign	8. Sign				
		Name	.Name				
		4.Sign	9. Sign				
		Name	.Name				
		5.Sign	10. Sign				

Name.....

.Name.....